

कार्यालय निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कार्यालय आदेश

कृपया इस कार्यालय के पत्र सं० 79/एफ०एम०डी०सीपी०/ 17वां चरण/2015-16 दिनांक 15.10.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें। जो खुरपका मुंहपका रोग नियन्त्रण अभियान के सत्यापन के सम्बन्ध में है।

प्रमुख सचिव पशुधन, उ०प्र० द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अवगत कराना है कि पूर्व में दिये गये निर्देश जिसमें मुख्य पशु चिकित्साधिकारी एवं मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2 को अपने आधीन कार्यक्षेत्र में समस्त विकास खण्डों के कुल 100 गांव में हुये टीकाकरण का सत्यापन करने को आदेशित किया गया था। उक्त वर्णित 100 गांव के स्थान पर 100 राजस्व ग्राम को किया जाता है का आंशिक संशोधन किया जा रहा है। ताकि सम्पूर्ण जनपद का प्रतिनिधित्व हो सके।

जनपदों में खुरपका मुंहपका रोग नियन्त्रण अभियान के कार्यों की समीक्षा तथा सत्यापन हेतु मुख्यालय से अधिकारियों को मण्डलवार नामित किया गया। उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वह खुरपका मुंहपका रोग नियन्त्रण अभियान, जो दिनांक 15.09.2015 से प्रदेश में प्रारम्भ हुआ के पूर्ण होने के पश्चात ही आवंटित कार्य हेतु प्रस्थान कर समयबद्धता के साथ कार्य पूर्ण कर आख्या निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत करें। शेष पत्रांक 79/एफ०एम०डी०सीपी०/ 17वां चरण/2015-16 दिनांक 15.10.2015 को यथावत समझा जाये।

आदेशित किया जाता है कि मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2 अपने द्वारा किया गये गाँवों के सत्यापन की आख्या अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें।

भवदीय,

(डा० ए० पी० सिंह)

निदेशक,

पत्रांक 86 / एफ०एम०डी०सीपी०/ 17वां चरण/2015-16

दिनांक 20.10.15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित नोडल अधिकारी को अनुपालनार्थ।
2. श्री नवीन गुप्ता, कम्प्यूटर सुपरवाइजर को विभागीय वेसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. संयुक्त निदेशक, रोग नियन्त्रण मुख्यालय।
4. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उ०प्र०।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उ०प्र०।
6. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग उ०प्र०।
7. प्रमुख सचिव, पशुधन, उत्तर प्रदेश शासन।

(डा० ए० पी० सिंह)

निदेशक,

Amir